कार्यपालक अभियंता का कार्यालय,
घोड़ासहन नहर प्रमंडल, रक्सौल।

Email:-eegcdraxaul@gmail.com, Mob- 7463889660

भाड़े पर वाहन लेने हेतु अल्पकालीन कोटेशन आमंत्रण सूचना सं0 (NIQ)–02/2026–27

पत्रांकः–   रक्सौल   दिनांकः–   /   /2026

कार्यपालक अभियंता, घोड़ासहन नहर प्रमण्डल, रक्सौल अन्तर्गत योजनाओं के गहन अनुश्रवण एवं नहरों/वितरणियों/अवर प्रमंडलों/प्रशाखाओं के निरीक्षण एवं उच्चाधिकारियों की बैठकों में भाग लेने इत्यादि कार्यों हेतु भाड़े पर (बोलेरो/सुमो/स्कार्पियों समकक्ष) के वित्तीय वर्ष 2026–27 में निर्धारित कार्यान्वित अवधि में परिचालन के लिए इच्छुक वाहन मालिकों/फर्म से अल्पकालीन कोटेशन आमंत्रित किया जाता है।:–

जिसकी विवरणी निम्न है।:–

क्र0स0	वहन उपयोग करने वाले पदाधिकारी का नाम	गाड़ी परिचालन का कार्यान्वित अवधि	गाड़ी की संख्या	दर (प्रतिमाह) सभी कर सहित	अभि0
1	2	3	4	5	6
1	कार्यपालक अभियंता, घोड़ासहन नहर प्रमंडल, रक्सौल	एकरारनामा की तिथि से 31.03.2027 तक	01	समाहरणालय, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी के ज्ञापांक–51, दिनांक–30.08.2025 द्वारा निर्धारित दर के अनुरूप।	
2	सहायक अभियंता के उपयोग के लिए	एकरारनामा की तिथि से दिनांक 31.03.2027 तक	02		
3	सहायक अभियंता हेतु खरीफ अवधि में उपयोग के लिए	खरीफ अवधि दिनांक–01.06.2026 से 31.10.2026 तक	02		

1. विज्ञापन दाता का नाम एवं पता :–कार्यपालक अभियंता, घोड़ासहन नहर प्रमण्डल, रक्सौल।
2. कोटेशन आमंत्रण की तिथि :–21.04.2026
3. कोटेशन जमा करने की अंतिम तिथि :–07.05.2026 को अपराहन् 03:00 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में।
4. कोटेशन प्राप्त करने का स्थान :–कार्यपालक अभियंता, घोड़ासहन नहर प्रमण्डल, रक्सौल।
5. कोटेशन खोलने की तिथि समय एवं स्थान :–07.05.2026 को अपराहन् 03:30 बजे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में।

–:नियम एवं शर्तें:–

6. भाड़े पर वाहन मार्च 2027 तक लिया जाएगा। संतोषजनक सेवा रहने पर मार्च 2028 तक एक वर्ष के लिए एकरारित दर पर ही अवधि विस्तार किया जा सकता हैं।
7. वाहन का वैद्य निबंधन (वाणिज्य निबंधन), पत्र बीमा, रोड टैक्स, प्रदूषण प्रमाण पत्र एं फिटनेस प्रमाण पत्र अद्यतन कोटेशन के साथ समर्पित करना आवश्यक है।
8. वाहन मालिक का आधार कार्ड, जी0एस0टी0, पैन, कोटेशन के साथ अद्यतन समर्पित की जाय।
9. क्र0 सं0–01 में उल्लेखित भाड़े पर वाहन एकरारनामा की तिथि से 31.03.2027 तक एवं क्र0 सं0–02 में उल्लेखित भाड़े पर वाहन एकरारनामा की तिथि से दिनांक–31.03.2027 तक लिया जायेगा एवं क्र0 सं0–03 में उल्लेखित भाड़े पर वाहन दिनांक–01.06.2026 से दिनांक–31.10.2026 तक लिया जायेगा।
10. वाहन का मॉडल 2019 के पूर्व नही होना चाहिए एवं अच्छे हालात मे होना चाहिए।
11. वाहन का कागजात टैक्स बीमा आदि मोटरयान अधिनियम अनुसार अद्यतन होनी चाहिए।
12. वाहन चालक के पास अद्यतन एवं वैद्य ड्राईविंग लाईसेंस होना चाहिए।
13. वाहन की चोरी या दुर्घटना अथवा अन्य क्षति होने पर चालक सहित जिम्मेदारी वाहन मालिक/फर्म का होगा।
14. वाहन के उपयोग के विरूद्व मासिक किराया ईंधन रहित देय होगा। विभाग से आवंटन उपलब्ध होने के पश्चात् ही मासिक किराया का भुगतान किया जाएगा। वाहन का उपयोग के लिए लॉगबुक का संधारण वाहन चालक की जवाबदेही होगी। जिसका उपयोग करने वाले पदाधिकारी यात्रा प्रयोग संबंधी आवश्यक प्रविष्टि करेंगे, जिसके आधार पर वाहन का मासिक किराया ईंधन रहित भुगतान किया जायेगा।

15. मासिक न्यूनतम दर समाहरणालय, पूर्वी चम्पारण,, मोतिहारी द्वारा निर्धारित अनुसूचित दर के बराबर या न्यूनतम कोटेशन दाता के साथ रू0–1000.00 (एक हजार) मात्र के स्टैम्प पेपर पर एकरारनामा किया जायेगा और उन्हें वाहन उपलब्ध कराने के आदेश दिया जायेगा। सेवा संतोषजनक नहीं होने पर अथवा वाहन की आवश्यकता नहीं रहने पर कभी भी बिना कारण बताए एकरारनामा समाप्त किया जा सकता है। साथ ही आवश्यकतानुसार/आवंटन के अनुरूप भाडे के निरीक्षण वाहनों का एकरारनामा कराया जायेगा। आवश्यकतानुसार निरीक्षण वाहनों की संख्या घट/बढ़ सकती है।

16. वाहन का वैद्य निबंधन (वाणिज्य निबंधन), पत्र बीमा, रोड टैक्स, प्रदूषण प्रमाण पत्र एं फिटनेस प्रमाण पत्र वाहन परिचालन के दौरान अद्यतन रखना होगा।

17. आवश्यकतानुसार वाहन का उपयोग दिन एवं रात्रि समय में होता है। अतः इस हेतु कोई अतिरिक्त शुल्क/किराया देय नहीं होगा।

18. खरीफ एवं रबी अवधि में वाहन का उपयोग दिन एवं रात दोनों समय में अत्यधिक होता है। अतः इस अवधि में दो चालक उपलब्ध कराना होगा।

19. वाहन का उपयोग वाहन मालिक/फर्म निजी अथवा अन्य व्यवसायिक उपयोग में नही करेंगे।

20. कोटेशन कभी भी बिना कारण बताये अधोहस्ताक्षरी द्वारा रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

21. वाहन मालिक/सेवा प्रदाता वाहन से संबंधित सभी प्रकार के करों अर्थात इत्यादि के भुगतान की देयता स्वयं करना होगा। विभाग/कार्यालय द्वारा मात्र वाहन के उपयोग के विरूद्व निमित मासिक दर से ईंधन रहित भुगतान होगा।

22. वाहन का माईलेज वास्तविक रूप से डाले गये डीजल अथवा 10 कि0मी0 प्रति लिटर में जो अधिक हो मान्य होगा।

23. वाहन उपयोग हेतु 24 घंटे संबंधित पदाधिकारियों के नियंत्रण में रहेगा एवं किसी भी परिस्थिति में बिना अनुमति के कार्यालय परिसर से बाहर बाहर वाहन ले जाने की अनुमति नहीं होगी। वाहन खराब हो जाने पर वाहन मालिक/फर्म का दायित्व होगा कि वे तुरन्त दूसरा वाहन उपलब्ध करायेंगे, अगर वे ऐसा नहीं करते है तो उस दिन का भाड़ा का भुगतान दोगुणे दर से कटौती कर ली जाएगी।

24. आवश्यकतानुसार वाहन मुख्यालय से बाहर भी जा सकता है एवं वहाँ रह भी सकता है उक्त किसी प्रकार का अतिरिक्त राशि के भुगतान का दावा मान्य नहीं होगा।

ईच्छुक वाहन मालिक/फर्म उक्त क्रमांक 06 से 24 तक के शर्तों को स्वीकार करने से संबंधित अपना शपथ–पत्र (नोटरी द्वारा निर्गत) के साथ समर्पित करेंगे। एक से अधिक समान न्यूनतम दर के कोटेशन प्राप्त होने पर दिनांक–07.05.2026 को 04:00 बजे अपराहन में वैद्य कोटेशन दाता के बीच लॉटरी के माध्यम से वाहन मालिक/फर्म का चयन किया जायेगा।

शपथ पत्र एवं वांछित कागजात नही रहने पर कोटेशन अमान्य कर दिया जायेगा।

ह0/–
(ई0 राजेश कुमार),
कार्यपालक अभियंता,
घोड़ासहन नहर प्रमंडल, रक्सौल।

पत्रांक– 451 रक्सौल, दिनांकः– 21/04/2026

प्रतिलिपिः– सूचना एवं जन सम्पर्क पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने तथा लोकप्रिय राष्ट्रीय/स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ समर्पित।

अनु0– 1. Soft Copy (PDF & MS Word)

21/04/26
कार्यपालक अभियंता,
घोड़ासहन नहर प्रमण्डल, रक्सौल।